

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा), बाड़मेर
क्रमांक : प. 35() ()आ.प्र. एवं सहा./Covid-19/2020/1329


दिनांक : 09/04/2020

आदेश

बाड़मेर जिले में कोविड-19 (कोराना वायरस) के प्रकोप के रोकथाम एवं उत्पन्न स्थिति को मद्देनजर रखते हुये मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के द्वारा निम्नलिखित होटलों के सम्मुख अंकित तिथियों में कोविड -19 से संबंधित व्यवस्थाओं को सुचारु से सम्पन्न करने हेतु आवश्यकता होने से भवन अधिग्रहण करने का निवेदन किया गया है।

क्र.सं.	भवन/परिसर/होटल का विवरण	कोविड-19 के जिस प्रयोजन हेतु आवश्यकता है	अधिग्रहण अवधि	कब्जा प्राप्त करने हेतु अधिकृत अधिकारी
1.	होटल डेजर्ट, रॉय कोलोनी, बाड़मेर	चिकित्सकों के लिये	09.04.2020 से अग्रिम आदेश तक	तहसीलदार, बाड़मेर
2.	होटल मरूधरा, स्टेशन रोड़, बाड़मेर	नर्सिंग कर्मिकों के लिये		

अतः मैं विश्राम मीणा, अध्यक्ष एवं जिला कलक्टर, आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा अनुभाग, बाड़मेर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के नियम 65 (2)(ग) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपर्युक्त होटलों को अग्रिम आदेशों तक के लिये अधिग्रहण करता हूँ। तहसीलदार, बाड़मेर को उक्त भवन के स्वामी/कब्जाधारी से कब्जा प्राप्त कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर को सुपुर्द करते हुये पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।



(विश्राम मीणा)

जिला कलक्टर

आ.प्र. सहा. एवं ना.सु., बाड़मेर

क्रमांक : प. 35() ()आ.प्र. एवं सहा./Covid-19/2020/1330-39 दिनांक : 09/04/2020
प्रतिलिपि – निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. जिला पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर
02. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, बाड़मेर
03. नॉडल अधिकारी, सहायक निदेशक, लोक सेवाएं, बाड़मेर
04. उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर
05. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर
06. तहसीलदार, बाड़मेर
07. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बाड़मेर
08. प्रबंधक, होटल डेजर्ट, रॉय कोलोनी, बाड़मेर
09. प्रबंधक, मरूधरा होटल, स्टेशन रोड़, बाड़मेर
10. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, बाड़मेर



जिला कलक्टर

आ.प्र. सहा. एवं ना.सु., बाड़मेर